

# न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांक:- 62अ-59/2017-18/

556/

बैतूल दिनांक 4/5/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 98 तहसील मुलताई द्वारा नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम सभा मासोद द्वारा मौजा मासोद स्थित खसरा नंबर 567 रकबा 3.581 हेक्टेयर मद रास्ता की भूमि में से 1.000 हेक्टेयर भूमि को नवीन आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुसार मौके की जाँच की गई, उक्त भूमि आबादी घोषित किए जाने हेतु उपयुक्त है।

2- हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार मुलताई द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-


(1)- मौजा मासोद तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 567 रकबा 3.581 हेक्टेयर मद रास्ता में से 1.000 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 26-01-2018 को ग्राम मासोद में आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रमांक-05 पारित किया जाकर ग्राम के पात्र व्यक्तियों को आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए मौजा मासोद तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 567 रकबा 3.581 हेक्टेयर में से 1.000 हेक्टेयर को आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा मासोद स्थित खसरा नंबर 265 रकबा 3.380 हेक्टेयर भूमि रास्ता मद में दर्ज है, मिसल बन्दोबस्त वर्ष 1917-18 एवं अधिकार अभिलेख वर्ष 1971-72 के अनुसार उक्त खसरा नंबर रास्ता मद में दर्ज है।

(4)- नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) द्वारा, प्रतिवेदित किया गया है कि, आवेदित खसरा नंबर 567 रास्ता की चौड़ाई 150 फीट है आबादी घोषित करने के बाद 50 फीट चौड़ा रास्ता मौके पर उपलब्ध रहेगा, आवागमन में कोई सुविधा नहीं होगी। अतः प्रतिवेदित खसरा नंबर में से 1.000 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किया जाना उचित होगा। नायब तहसीलदार मुलताई के प्रतिवेदन के आधार पर,, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा, मौजा मासोद तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 567 रकबा 3.581 हेक्टेयर मद रास्ता में से 1.000 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाएं पृथक् रख सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि में से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा



*(Handwritten signature)*

समसंख्यक आदेश क्रमांक:- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त)/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा मासोद तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 567 रकबा 3.581 हेक्टेयर मद रास्ता में से 1.000 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।



(मूलमन्द वरमा)  
अपर कलेक्टर  
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 62/अ-59/2017-18/ 5561  
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 4/5/2018

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई की ओर सूचनार्थ।
- 2- नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 5- सचिव ग्राम पंचायत मासोद जनपद पंचायत प्रभातपट्टन की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर  
जिला-बैतूल.